भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5016
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

ओडिशा में पीएम-यूएसएचए के अंतर्गत स्वीकृत उच्च शिक्षण संस्थान

†5016. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के अंतर्गत ओडिशा राज्य में स्वीकृत उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की संख्या कितनी है तथा अनुमोदन, स्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कंधमाल जैसे जनजातीय जिलों सहित फोकस जिलों को बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल पुस्तकालयों और संकाय को मजबूत बनाने के लिए विशेष अनुदान प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), मान्यता (एक्रेडिटेशन) अंकों तथा अनुसंधान उत्पादन में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण सुधार का ब्यौरा क्या है;
(घ) राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों के परिणाम-आधारित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया निगरानी ढांचा क्या है जिसमें जिला-स्तरीय ऑडिट और प्रतिवेदन तंत्र शामिल है; और
(ङ) भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च स्कीम (स्ट्राइड) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त राज्य में स्वीकृत परियोजनाएं, जारी की गई निधियां और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ज़िम्मेदारी है। केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (आरयूएसए) को लागू कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करके उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

सरकार ने जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) के रूप में शुरू किया जिसके लिए 12,926.10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जिसमें आरयूएसए के पिछले चरणों की बकाया देनदारियां भी शामिल हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में असेवित या अल्पसेवित वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पीएम-ऊषा के तहत ओडिशा राज्य में विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 38 इकाईयों को सहायता के लिए मंज़ूरी दी गई है जिसकी कुल राशि 676.70 करोड़ रुपये है। इकाईयों की संख्या और मंज़ूर की गई राशि का ज़िला-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों अर्थात 2019-20 से 2024-25 तक राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में कुल 68.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2025-26 में ओडिशा राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 11.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पीएम-ऊषा के तहत फोकस ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिनमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नामांकन अनुपात साथ ही आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िले आदि शामिल हैं। ओडिशा राज्य ने 15 फोकस ज़िलों की पहचान की है, जिनमें जनजातीय ज़िला कंधमाल भी शामिल है। ओडिशा के फोकस ज़िलों में पीएम-ऊषा के तहत कुल 390 करोड़ रुपये की सहायता से 20 इकाईयों को मंज़ूरी दी गई है इसमें कंधमाल ज़िले में 'जेंडर इन्क्लूज़न एंड इक्विटी इनिशिएटिव्स' घटक के तहत 10 करोड़ रुपये की एक इकाई भी शामिल है।

पीएम-ऊषा के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षा में पहुँच, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं जिसमें स्मार्ट कक्षा, कंप्यूटर प्रयोगशाला, अनुसंधान प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय जिसमें प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सदस्यता शामिल हो जैसे बुनियादी ढाँचे का निर्माण/नवीनीकरण; ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और स्वयम/एमओओसी जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और 21वीं सदी के कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देना आदि शामिल हैं।

(ग): ओड़ीशा राज्य में उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, उच्च शिक्षा में कुल सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2018-19 के 21.1 से बढ़कर 2022-23 (अस्थायी) में 22.9 हो गया है। अनुसूचित जातियों के लिए जीईआर वर्ष 2018-19 के 19.1 से बढ़कर 2022-23 (अस्थायी) में 23.6 हो गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जीईआर वर्ष 2018-19 के 12.2 से बढ़कर 2022-23 (अस्थायी) में 16.2 हो गया है।

(घ): इस योजना के तहत, सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर योजना की नियमित लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के खर्च की लेखापरीक्षा किए गए विवरणों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भविष्य के लिए अनुदान जारी करने हेतु उनसे एक समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) मांगा जाता है। मंत्रालय इस योजना के तहत विभिन्न समीक्षा बैठकों, प्रत्यक्ष दौरों आदि के माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करता है। इसके अतिरिक्त, पीएम-ऊषा के अंतर्गत विधानमंडल विहीन संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एसएनए-स्पर्श मॉडल के माध्यम से निधि जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद निधि जारी की जाती है जैसे कि संबंधित राज्य के हिस्से का स्थानांतरण, पहले जारी की गयी निधि का कम से कम 75% प्रयोग, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा तय की गई शर्तों का पालन, एक समेकित उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना, और वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना।

(ङ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसंधान संस्कृति, नवाचार को मजबूत करने और अंतर-विषयक अनुसंधान में सहायता करने के लिए वर्ष 2019 में भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर-विषयक अनुसंधान योजना (इस्ट्राइड) शुरू की। यूजीसी ने बताया है कि इस योजना के तहत वर्ष 2019 में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे और प्रस्तावों की गहन समीक्षा के बाद स्ट्राइड के तहत घटक-1 के लिए कुल 35 संस्थानों का चयन किया गया। इस योजना के घटक-I के तहत यूजीसी द्वारा कुल 16.28 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। घटक-I के तहत चयनित सभी संस्थानों के लिए 3-वर्षीय चक्र पूरा हो चुका है। यह योजना वर्तमान में लागू नहीं है।

अनुलग्नक

ओडिशा में पीएम-ऊषा के अंतर्गत स्वीकृत उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही द्वारा पूछे गए दिनांक 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5016 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ओडिशा राज्य में पीएम-उषा के तहत इकाइयों की संख्या और स्वीकृत राशि का जिलावार ब्यौरा:

क्र.सं.	ज़िला	फोकस जिला (हां/नहीं)	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)
1	अनुगुल	नहीं	3	15.00
2	बलांगीर	हाँ	2	25.00
3	बालेश्वर	नहीं	1	5.00
4	बारगढ़	नहीं	1	5.00
5	भद्रक	हाँ	2	15.00
6	बौध	नहीं	1	5.00
7	कटक	नहीं	2	105.00
8	देवगढ़	नहीं	1	5.00
9	ढेंकनाल	नहीं	2	10.00
10	गंजम	नहीं	1	100.00
11	जगतसिंहपुर	हाँ	1	5.00
12	जाजापुर	नहीं	1	5.00
13	झारसुगुडा	हाँ	1	5.00
14	कालाहांडी	हाँ	1	20.00
15	कंधमाल	हाँ	1	10.00
16	केंद्रपाड़ा	हाँ	1	5.00
17	केंदुझर	नहीं	1	5.00
18	खोरधा	नहीं	1	5.00
19	कोरापुट	हाँ	1	20.00
20	मयूरभंज	हाँ	2	110.00
21	नबरंगपुर	हाँ	2	15.00
22	नयागढ़	नहीं	1	5.00
23	नुआपाड़ा	हाँ	1	5.00
24	पुरी	नहीं	1	5.00
25	संबलपुर	हाँ	5	155.00
26	सुंदरगढ़	नहीं	1	5.00
	एमएमईआर (कुल स्वीकृत राशि का 1%)			6.70
	कुल		**38**	**676.70**
